[19/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1421]

प्रपत्र - अ

परिशिष्ट-1

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, (भ/प) उज्जैन संभाग उज्जैन

web site : www.mp.gov.in/pwdmp Phone- 0734-2557725 email: eepwdujn@mp.nic.in

क्र. 15 /कार्य/2020-21 उज्जैन दिनांक 1/01/2021

प्रति

गुजरात गैस लिमिटेड
9 वी मंजिल अवधेश हाउस
श्री गोविन्द गुरुद्वारा के पीछे
एस.जी. हाईवे अहमदाबाद
गुजरात- 380054

विषय- गैस पाईप लाईन डाले जाने की अनुमति बाबत्।

— 00 —

उपरोक्त विषय में लेख है कि, आपके द्वारा नागदा खाचरोद मलवासा मार्ग के समानान्तर खुदाई एवं क्रासिंग कर गैस पाईप लाईन डालने हेतु विभाग की अनुमति चाही गई है।

आपके द्वारा प्राक्कलन अनुसार बैंक गारंटी नं 0810आईजीपी 200028006 दिनांक 21.11.2020 द्वारा राशि रु. 3241020.00 कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड शाखा अहमदाबाद गुजरात द्वारा जारी जो इस कार्यालय में जमा कराई गई है।

उपरोक्त अनुसार मार्ग पर एच.डी.डी. मेथड से रोड क्रासिंग एवं मार्ग समानान्तर खुदाई की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है।

1. किसी भी परिस्थिति में मार्ग के मध्य रेखा से 15 मीटर की दूरी पर ही ट्रेंच की खुदाई की जावें।
2. ट्रेंच खुदाई 1.65 मीटर गहरी ही खोदी जावें।
3. खुदाई करते समय यातायात की पूर्ण सुरक्षा करना आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, खुदाई का कार्य करते समय कोई दुर्घटना की स्थिति में विभाग जिम्मेदार नही होगा।
4. राशि जमा करने के 15 दिवस के अंदर केबल डालने का कार्य पूर्ण करना होगा।
5. पाईप लाईन को केसिंग में ही डाला जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. पाईप/केबल की ज्वाईंट सडक के मध्य न हो इसका ध्यान रखा जावें।
7. सडक के जिस भाग में वन विभाग या अन्य विभाग अथवा संस्था का भाग आता हो इस स्थिति में संबंधित से अनुमति प्राप्त करना होगा।
8. खुदाई प्रारंभ करने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग खाचरोद एवं संबंधित उपयंत्री से उचित निर्देश प्राप्त कर निर्देशानुसार खुदाई प्रारंभ की जावें।
9. उक्त कार्य संपन्न होने के पश्चात संपूर्ण लंबाई में पूर्ववत समतल एवं पुनः व्यवस्थित करना होगा।
10. उक्त मार्गो का भविष्य में यदि उन्नयन/चौडीकरण किया जाने पर यदि केबल क्षतिग्रस्त होती है तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
11. उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
12. मार्ग की पटरी एवं डामरीकृत सतह को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर प्राक्कलन अनुसार राशि वसूल की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/प) उज्जैन
संभाग उज्जैन

पृ. क्रमांक : 16 /कार्य/2020-21 उज्जैन दिनांक 1/01/2021

प्रतिलिपि -

अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग खाचरोद की ओर निर्देशित किया जाता है कि मार्ग खुदाई अपने मार्गदर्शन में करवाकर पुनः खोदे गये गडडे/नाली को समतल करने हेतु संबंधित कंपनी से भरवाया जाकर कार्य पूर्णता की जानकारी से अवगत कराया जावें।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/प) उज्जैन
संभाग उज्जैन

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

...2020\Letter Latters-2...s.doc

परिशिष्ट (ब)

लोक निर्माण विभाग।

भोपाल, दिनांक 22/02/2017

क्रमांक 1129/17/19/यो.

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

2. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय:- लोक निर्माण विभागों द्वारा निर्मित सड़कों को अन्य विभागों द्वारा खोदे जाने के पश्चात सड़क मरम्मत की दरों का निर्धारण।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश क्रमांक 5649/16/19/यो, दिनांक 05.10.2016

उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप कमांक 5649/16/19/यो, दिनांक 05.10.2016 द्वारा निर्देश जारी कर लोक निर्माण विभाग एवं शासकीय विभागों/स्थानीय निकायों की सड़को पर टेलीफोन केबिल, पाईप लाईन या अन्य कोई यूटिलिटि गतिविधि हेतु सड़क खोदने के उपरान्त उसकी मरम्मत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के नवीनतम एस.ओ.आर. के आधार विभिन्न श्रेणी की सड़कों एवं सड़क के हिस्सों यथा साफ्ट शोल्डर, हार्ड शोल्डर, बी.टी. रोड़, सी.सी. रोड़ के लिए प्रति रनिंग मीटर दरें निर्धारित गई, जो निम्नानुसार थी :-

तालिका –1

S.NO.	Particular	Unit	Rate	Remark
1.	Repairing of earthen surface beyond one meter toe line of Road & within Row	RM	210.00	
2.	Repairing of Soft Shoulder and earthen surface up to one meter from toe line	RM	1380.00	
3.	Repairing of hard shoulder/WBM surface road	RM	1475.00	
4.	Repairing of B.T. Surface road with Bituminous material	RM	2400.00	
5.	Repairing of B.T. surface Road with CC finish	RM	3060.00	
6.	Repairing of CC surface Road with CC finish	RM	3060.00	

R-727
1/3/17

उपरोक्त जारी निर्देशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

(1) तालिका–1 के सरल क्रमांक.1 में Repairing of earthen surface beyond one meter toe line of Road & within Row में रेट रू. 210.00 प्रति रनिंग मीटर के स्थान पर रू. 105.00 प्रति रनिंग मीटर निर्धारित किया जाता है। तालिका–1 में सरल क्रमांक 2 से 6 यथावत रहेगी।

(2) उक्त क्रमांक 1 का आयटम लागू होने पर सड़क की मरम्मत का कार्य भी संबंधित एजेन्सी द्वारा किया जावेगा।

(3) संबंधित एजेन्सी द्वारा मरम्मत कार्य किये जाने की स्थिति में रूपये 105.00 प्रति रनिंग मीटर की दर से गणना कर बैंक गारन्टी ली जावेगी, जो कि उनके द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने के उपरान्त वापिस की जा सकेगी।

(4) शासन के उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप दिनांक 05.10.2016 द्वारा इस संबंध में जारी अन्य दरें एवं शर्तें यथावत रहेंगी

22/2/17

(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग

पृ. क्र.– 26/टेक्निकल सर्कुलर/संचार/2016 /715 भोपाल, दिनांक 3/3/17

प्रतिलिपि:–

1. समस्त मुख्य अभियंता लो.नि.वि. मध्यप्रदेश।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि. मध्यप्रदेश ।(सेतु को छोड़कर)
3. समस्त कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। (सेतु को छोड़कर)

सहपत्र:– उपरोक्तानुसार।

8/3/17

मुख्य अभियंता(यो/ब)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल

1362 /2016-17/ दि 8/3/17
S.D.O. PWD (B/R) ... सूचनार्थ एवं पालनार्थ

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल